भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4413

उत्तर देने की तारीख - 19/03/2026

जनजातीय मंत्रालय की योजनाओं के तहत कार्य

+4413. श्री रिचर्ड वनलालहमंगइहा:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों का सदस्य-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संसद सदस्य द्वारा संस्तुत कितने कार्य पूरे किए गए हैं और उनका योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2024-25 के लिए मंत्रालय की परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा अनुमोदित कार्यों की राज्य-वार और सदस्य-वार सूची का ब्यौरा क्या है और कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय कितना है;

(घ) वर्ष 2024-25 के दौरान संसद सदस्य की सिफारिशों और लोक लेखा समिति के अनुमोदन दोनों पर विचार करते हुए सबसे अधिक संस्तुत कार्यों वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संसद सदस्य द्वारा संस्तुत कार्यों को प्राथमिकता देने और अनुमोदित करने के लिए मंत्रालय द्वारा अपनाए गए मानदंड, दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं क्या हैं और पीएसी की भूमिका क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गा दास उइके)

(क) से (ङ): अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

(i) धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियानः माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में पाँच करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर देकर लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को पूरा करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/dajgua/DAJGUAguidelines-30102024.pdf पर देखा जा सकता हैः

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना के तहत इस उद्देश्य के लिए अनुदान पर विचार करने हेतु गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रधान सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है और इसे नीचे दिए गए यूआरएलः https://tribal.nic.in/display_PAC_DAJAGUAMinutes.aspx पर देखा जा सकता है।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया

जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करना है।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/PM-JANMAN/PM-JANMAN-OperationalGuidelines2024.pdf पर देखा जा सकता हैः

पीएम जनमन के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) के उपायों के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रस्तावों को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से मंत्रालय में इन प्रस्तावों पर विचार करने हेतु गठित समिति (पीएसी) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

समिति की अनुमोदन का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (https://tribal.nic.in/PM-JANMAN.aspx) पर अपलोड किया जाता है

(iii) प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदायों के बीच स्थायी आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को कार्यान्वित (लागू) कर रहा है। इस मिशन का गठन लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन से संबंधित दो पिछली योजनाओं को मिलाकर किया गया था। योजना के तहत, चयनित एमएफपी के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है और बाजार मूल्य के एमएसपी से नीचे आने पर नामित राज्य एजेंसियां खरीद करती हैं। यह मिशन मूल्य संवर्धन, सतत संग्रह, बुनियादी ढांचे के विकास और जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार संपर्कों को मजबूत करने पर भी केंद्रित है। इसे एमएफपी और अन्य जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता के साथ ट्राईफेड के माध्यम से कार्यान्वित (लागू) किया जाता है।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/Livelihood/Guidelines/PMJVMGuidelines.pdf पर देखा जा सकता हैः

इस योजना के तहत, राज्य सरकार वित्तीय सहायता के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ बुनियादी ढांचे के विकास/निर्माण से संबंधित प्रस्ताव ट्राइफेड को प्रस्तुत करती है। ट्राईफेड उनके मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) का गठन करता है।

(iv) **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस):** वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/EMRS/Guidelines/EMRS%20Guidelines%20November%202020.pdf पर देखा जा सकता हैः

इस योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार या राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र ईएमआरएस सोसायटी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) स्वीकार्यता की जांच करती है और जनजातीय कार्य

मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। मंत्रालय राज्य सोसायटी को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को निधि जारी करता है।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/Article275/Article275Guidelines2025.pdf पर देखा जा सकता हैः

"संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के लिए प्रावधान (परंतुक)" कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकार से राज्य की कार्यकारी समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित प्रस्तावों के आधार पर और इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद अधिसूचित अजजा वाली राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पीएसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इसे नीचे दिए गए यूआरएलः https://tribal.gov.in/display_PAC_minutes.aspx पर देखा जा सकता हैः

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/NGO/NGO-GIAtoVOsGuidelines.pdf पर देखा जा सकता हैः

योजना के तहत, गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में गैर सरकारी संगठन अनुदान पोर्टल पर अपना आवेदन जमा (प्रस्तुत) करते हैं। प्रस्तावों को वास्तविक निरीक्षण के लिए जिला प्राधिकरण (प्राधिकारी) को भेजा जाता है। जिला प्राधिकारी क्षेत्र निरीक्षण करते हैं और संतोषजनक पाए जाने पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट और योजना दिशानिर्देशों के तहत पात्रता के आधार पर, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ मंत्रालय को भेजते हैं।

नई परियोजनाओं के मामले में, उपरोक्त आवेदन प्राप्त होने के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय का एनजीओ प्रभाग इसे तीसरे पक्ष के माध्यम से मूल्यांकन कराता है और विचार के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष पात्र मामलों को रखता है। समिति योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव का मूल्यांकन करती है और वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त परियोजनाओं की सिफारिश करती है। पीएसी की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के आधार पर, स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान पर विचार किया जाता है, जिनकी बाद में रिपोर्ट, निरीक्षण और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के माध्यम से निगरानी की जाती है।

(vii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहाँ यह अनुपात 90:10 है, को

छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/guidelines/pre-matric/guidelines-Pre-matric-17-Oct-2022.pdf पर देखा जा सकता हैः

योजना के तहत, उपयोग और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं, और उसके बाद पात्र लाभार्थियों को वितरित की जाती हैं। यह एक लाभार्थी उन्मुख डीबीटी योजना है जिसे राज्य स्तरीय सत्यापन और निगरानी प्रणालियों के माध्यम से कार्यान्वित (लागू) किया गया है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

योजना का विस्तृत दिशानिर्देश https://tribal.nic.in/downloads/guidelines/post-matric/Post-matric-guidelines-15032023.pdf पर देखा जा सकता हैः

योजना के तहत, उपयोग और योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं, और उसके बाद पात्र लाभार्थियों को वितरित की जाती हैं। यह एक लाभार्थी उन्मुख डीबीटी योजना है जिसे राज्य स्तरीय सत्यापन और निगरानी प्रणालियों के माध्यम से कार्यान्वित (लागू) किया गया है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल 20 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इनमें से, 17 छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के छात्रों के लिए हैं। माता-पिता/परिवार की आय सभी स्रोतों को मिलाकर ₹6.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/guidelines/NOS/RevisedGuidelinesNOS07102022.pdf पर देखा जा सकता हैः

योजना के तहत, एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और लाभार्थियों का चयन एक परिभाषित चयन प्रक्रिया के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जाता है, जिसमें शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन और जहां आवश्यक हो, एक विशेषज्ञ समिति द्वारा साक्षात्कार शामिल है। वित्तीय सहायता चयनित छात्रों और संस्थानों को नामित तंत्रों के माध्यम से सीधे प्रदान की जाती है। यह योग्यता (मेरिट) चयन और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता पर आधारित एक केंद्रीकृत लाभार्थी-उन्मुख छात्रवृत्ति योजना है।

(x) अजजा छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्तिः यह योजना अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के दो घटक हैंः स्नातकोत्तर के बाद एम.फिल/पीएच.डी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और चयनित प्रमुख संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। इसमें ट्यूशन फीस, वजीफा, किताबें, कंप्यूटर सहायता और अन्य शैक्षणिक खर्च शामिल हैं। चयन ऑनलाइन आवेदन और योग्यता (मेरिट) -आधारित मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता

है, और निधियां पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती हैं। इसका उद्देश्य अजजा छात्रों की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और उन्नत अनुसंधान के अवसरों तक पहुंच बढ़ाना है।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/guidelines/NFS/GuidelinesFellowshipandScholarship2022.pdf पर देखा जा सकता हैः

योजना के तहत, डीबीटी/पीएफएमएस तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों या संस्थानों को सीधे वित्तीय सहायता वितरित की जाती है। यह एक केंद्रीकृत लाभार्थी-उन्मुख छात्रवृत्ति योजना है जो योग्यता (मेरिट) चयन और प्रत्यक्ष निधि हस्तांतरण पर आधारित है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: इस योजना के तहत, मंत्रालय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को मजबूत करने के लिए उनकी बुनियादी ढांचे की जरूरतों, अनुसंधान और प्रलेखन गतिविधियों और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों, अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय त्योहार यात्राओं के आयोजन और पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातियों द्वारा विनिमय यात्राओं के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है, ताकि जनजातीय सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित और प्रसारित किया जा सके और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना भी की जा सके ताकि जनजातीय लोगों के वीर और देशभक्तिपूर्ण कार्यों को अभीस्वीकृति प्रदान की जा सके, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/TRI/Guidelines/TRI_Guidelines.pdf पर देखा जा सकता हैः

योजना के तहत, टीआरआई विस्तृत प्रस्ताव और वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करते हैं जिन्हें विचार के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रस्तावों का मंत्रालय द्वारा गठित एक शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है और अनुमोदित गतिविधियों और आवश्यकताओं के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर की जाती है।

(xii) उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत, जनजातीय विकास के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और संगठनों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक-आर्थिक विकास और अधिकार आधारित अध्ययन सहित जनजातीय मुद्दों पर उच्च गुणवत्ता वाले नीति-उन्मुख अनुसंधान के संचालन के लिए संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना है। चयनित संस्थानों से दीर्घकालिक शोध परियोजनाओं को शुरू करने, नीतिगत सिफारिशों को विकसित करने और जनजातीय विकास कार्यक्रमों में सूचित निर्णय लेने के लिए ज्ञान सृजन में योगदान करने की उम्मीद है।

योजना के विस्तृत दिशानिर्देशों को https://tribal.nic.in/downloads/TRI/Guidelines/CoE_Guidline.pdf पर देखा जा सकता हैः

इस योजना के तहत, मंत्रालय द्वारा गठित एक चयन समिति के माध्यम से संस्थानों की पहचान उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में की जाती है, जिसके बाद वे विचार के लिए विस्तृत अनुसंधान प्रस्ताव और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। योजना दिशानिर्देशों और अध्ययन की योग्यता (मेरिट) के आधार पर मंत्रालय द्वारा इन प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन किया जाता है और तदनुसार निधियां जारी की जाती हैं।

माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सिफारिशों की मंत्रालय द्वारा संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों द्वारा निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रियाओं के अनुसार विधिवत जांच की जाती है। इस तरह के सुझावों पर निर्धारित संस्थागत तंत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों को संसाधित करते समय विचार किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और जहाँ भी लागू हो, सक्षम समितियों जैसे परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन किया

जाता है। परियोजनाओं का अनुमोदन पात्रता मानदंड, योजना के उद्देश्यों, निधियों की उपलब्धता और संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन पर आधारित होता है।
